तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए
22/7/25	पत्रावली वास्ते आदेश प्रार्थना पत्र O 22 R 4, O 22 R 3 CPC तथा धारा 5 वास्ते प्रस्तुत हुई। क्योकि तीनों प्रमाण पत्र एक दूसरे से जुड़े हैं, अतः तीनों का निस्तारण एक साथ किया जा रहा है। प्रार्थी/प्रतिवादी नं0 3 व 4 द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत O 22 R 4 प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि प्रतिवादी नं0 1 जुगल किशोर का देहान्त 28.06.2024 को हो चुका है तथा जुगल किशोर के कायम मुकामान को रिकार्ड पर लेने हेतु प्रार्थना पत्र आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः वाद पोषणीय नहीं होने से वाद का उपशमन कर अबेट किये जाने के आदेश प्रदान किये जावें। अप्रार्थी/ वादी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि O 22 R 10(A) के तहत प्रतिवादी को सूचना न्यायालय में प्रस्तुत करना मेन्डेट्री था जो इस के द्वारा प्रदान नहीं की गई। अतः प्रार्थना पत्र अबेटमेन्ट खारिज किया जावे। साथ ही वादी द्वारा प्रार्थना पत्र O 22 R 3 CPC प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि प्रतिवादी जुगल किशोर की मृत्यु उपरान्त उसके कायम मुकामान को रिकार्ड पर किया जावे। वादी द्वारा प्रार्थना पत्र O 22 R 3 CPC के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट भी प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि प्रतिवादी के वकील द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 19.11.2024 की नकल उन्हे 08.01.2025 को प्राप्त हुई तथा 22.01.2025 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया गया। अतः देरी एक सद्भाविक त्रुटि है, जिसे न्यायहित में कन्डोन किया जाना आवश्यक है। अतः 18.06.2024 से 08.01.2025 तक की देरी को कन्डोन किया जाकर प्रार्थना पत्र अवधि मध्य स्वीकार किया जावे। बहस उभय पक्ष सुनी हुई। हमने पत्रावली व संलग्न दस्तावेजों का गहनतापूर्वक अध्ययन किया, बहस वकुलाए फरीकेन पर गम्भीरता पूर्वक मनन किया तथा O 22 R 10(A) से सम्मान मार्गदर्शन प्राप्त किया। यदि प्रतिवादी नं0 3 व 4 के संज्ञान में प्रतिवादी नं0 1 की मृत्यु का तथ्य था, तो उन्हें O 22 R 10(A) के तहत न्यायालय को सूचित करना चाहिए था। साथ ही प्रतिवादी नं0 3 व 4 का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत O 22 R 4 CPC दिनांक 17.12.2024 को न्यायालय में प्रस्तुत होना प्रमाणित है, जिसकी नकल 08.01.2025 को वादी को दी गई तथा वादी द्वारा 22.01.2025 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत O 22 R 3 CPC प्रस्तुत किया गया। उक्त परीस्थितियों मे हम वादी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट स्वीकार किया जाना न्यायोचित होने से प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थना पत्र को अवधि मध्य स्वीकार करते है। साथ ही वादी का प्रार्थना पत्र O 22 R 3 CPC स्वीकार किया जाकर मृतक प्रतिवादी जुगल किशोर के कायम मुकामान को रिकार्ड पर लिया जाता है। तथा प्रतिवादी नं0 3 व 4 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत O 22 R 4 बाबत दावा अबेट करने अस्वीकार कर खारीज किया जाता है। पत्रावली संसोधित टाईटल वास्ते दिनांक 25.07.2025 को पेश हो।	